न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—03/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00063)

1. भगवान दास पुत्र श्री नाहर सिंह (नाहर सिंह पुत्र श्री घासी)
2. घनश्याम पुत्र श्री नाहर सिंह
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री नाहर सिंह
4. गीतादेवी पुत्री नाहर सिंह (मृतक)
   - 4/1 सत्यानारायण पुत्र श्रीमती गीतादेवी
   - 4/2 कैलाश पुत्र श्रीमती गीतादेवी समस्त साहू का कुंआ वैशाली नगर, अजमेर
   - 4/3 पुष्पादेवी पुत्री श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मोतीलाल जाति तेली निवासी बालाजी की खिडकी के पास, बीचडली मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर
   - 4/4 किरण साहू पुत्री श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री बजरंगलाल जाति तेली निवासी दूरसंचार विभाग के पास, केकडी तहसील व केकड़ी, जिला अजमेर
5. विघादेवी पुत्री श्री नाहर सिंह
6. लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री नाहर सिंह
7. भंवर लाल पुत्र श्री मोती (मोती पुत्र श्री घासी) मृतक
   - 7/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवरलाल
   - 7/2 मनमीत पुत्र श्री भंवरलाल
   - 7/3 निर्मला पुत्री श्री भंवरलाल
   - 7/4 निर्मला पुत्री श्री भंवरलाल
   - 7/5 विजयलक्ष्मी पुत्री श्री भंवरलाल
   - 7/6 राजलक्ष्मी पुत्री श्री भंवरलाल
   - 7/7 नन्दाकिशोर पुत्र श्री भंवरलाल (मृतक)
   - 7/7/1 गीता देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर
   - 7/7/2 राहुल पुत्र श्री नन्दकिशोर
   - 7/7/3 वीनू पुत्र श्री नन्दकिशोर
   - 7/7/4 श्वेता पुत्री श्री नन्दकिशोर
8. कानमल पुत्र श्री मोती (मृतक)
   - 8/1 कमला देवी पत्नी श्री कानमल
   - 8/2 संजय पुत्र श्री कानमल
   - 8/3 नीलेश पुत्र श्री कानमल
9. रमेशकरण पुत्र श्री मोती
10. शेररिंह पुत्र श्री मोती
11. सत्यनारायण पुत्र मोती
12. पृथ्वीराज पुत्र श्री मोती (मृतक)
   - 12/1 अरूण साहू पुत्र श्री मोती
   - 12/2 मनोज साहू पुत्र श्री मोती
   - 12/3 सीमा साहू पुत्री मोती
13. आत्माराम पुत्र श्री मोती
14. सूरजदेवी पुत्री श्री मोती
    समस्त जाति तेली, निवासी पंचोली चौराहा, फायसागर रोड, अजमेर
15. हरजी पुत्र श्री राजू (मृतक)
   - 15/1 रतनसिंह पुत्र श्री हरजी
   - 15/2 बद्रीसिंह पुत्र श्री हरजी
   - 15/3 मंगलसिंह पुत्र श्री हरजी
   - 15/4 नौरती देवी पुत्री श्री हरजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

15/5 चम्पा देवी पुत्री श्री हरजी
16. रूपा पुत्र श्री राजू
17. गोपी पुत्र श्री राजू (मृतक)
17/1 हनुमान पुत्र श्री गोपी
17/2 बालू पुत्र श्री गोपी
18. केसर पुत्र श्री राजू
19. बिरदा पुत्र श्री राजू (मृतक)
19/1 मोहन पुत्र श्री बिरदा
19/2 कानसिंह पुत्र श्री बिरदा
19/3 रामचंद्र पुत्र श्री बिरदा
19/4 हरचंद पुत्र श्री बिरदा
20. लक्ष्मण पुत्र श्री राजू (मृतक)
20/1 कैलाश पुत्र श्री लक्ष्मण
20/2 सूरज पुत्र श्री लक्ष्मण
20/3 खेमसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बोराज तहसील व जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , अजमेर।
2. नगर निगम अजमेर जरिए आयुक्त
3. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव
4. मतस्य विभाग अधिकारी, शोभाग क्लब के पास, सिविल लाईन्स, अजमेर

असल रेस्पोडेन्टस

5. हाथीराम पुत्र श्री रामदेव (मृतक)
5/1 मंजू पुत्री श्री हाथीराम पत्नी श्री रामलाल
5/2 पुष्पा पुत्री हाथीराम पत्नी श्री रामलाल
समस्त जाति तेली निवासी तेली मौहल्ला पीसांगन, अजमेर
5/3 बिशना पुत्र श्री हाथीराम (मृतक)
5/3/1 वर्षा पुत्री श्री बिशना
5/3/2 शिव पुत्र श्री बिशना
5/3/3 दीपू उर्फ दीपक पुत्र टीकम तेली गौत्र जादम जाति तेली निवासी साकेत नगर हाऊसिंग बोर्ड, ब्यावर अजमेर
5/3/4 राजेश पुत्र श्री हाथीराम जाति तेली निवासी पेगोरिया भवन के सामने रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर
5/4 अशोक पुत्र श्री हाथीराम (मृतक)
5/4/1 श्रीमती संतोष पत्नी श्री अशोक
5/4/2 मोना पुत्री श्री अशोक पत्नी श्री कपिल साहू
5/4/3 पुनम पुत्री श्री अशोक अविवाहित (फौत)
5/4/4 खशबू पुत्री श्री अशोक पत्नी लखन साहू
समस्त तेली निवासी ग्राम मेवाडी गेट रामदेव मंदिर के पास ब्यावर जिला अजमेर
5/4/5 अभिषेक पुत्र श्री अशोक जाति तेली निवासी पेगोरिया भवन के सामने रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर
6. वीरसिंह पुत्र श्री रामदेव
7. नरेन्द्र पुत्र श्री रामदेव
8. शैतान पुत्र श्री रामदेव
9. कौशल्या पुत्री श्री रामदेव
10. किन्नू पुत्री श्री रामदेव

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. रूकमा पुत्री श्री रामदेव
12. लाली पुत्री श्री रामदेव
13. श्रीमती सीता पत्नी श्री चांदमल
14. राजसिंह पुत्र श्री चांदमल
15. रवि पुत्र श्री चांदमल
16. प्रेमलता पुत्री श्री चांदमल
17. संतोष पुत्री श्री चांदमल समस्त तेली, निवासी पंचाली चौराह पेगोरिया भवन के सामने पुष्कर रोड, अजमेर। प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2019 उपखण्ड अधिकारी अजमेर, राजस्व वाद संख्या 19/2019.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरीश पारिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
3. श्री सहदेव चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 15
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1
5. रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 से 6, 7 से 14, 16, 17 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—10.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 11.12.2019 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंट के विरूद्ध राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस समाअत की गई एवं आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित किए बिना वर्तमान अधिकार अभिलेख में पक्षकारान बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज होने एवं विधिवत रूप से अवाप्त नहीं हो जाना निर्णय में अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होना मानते हुए आदेश अंतर्गत अपील दिनांक 11.12.2019 को निरस्त फरमा दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपने निर्णय में यह माना है कि जब तक भूमि विधिवत अवाप्त नहीं हो जाती तब तक मुआवजा दिलाने का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है जबकि प्रस्तुत वाद पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि वादीगण एवं पक्षकारान आज दिनांक बहैसियत खातेदार दर्ज है एवं स्वयं अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय में अंकितानुसार भूमि विधिवत रूप से अवाप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में खातेदारान के हक में स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जाना न्यायोचित था एवं किसी भी आधार पर

वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं था। इसके बावजूद समक्ष प्रस्तुत अधिकार अभिलेख से बाहर जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया गया। वर्तमान अधिकार अभिलेख के अनुसार पक्षकारान खातेदार दर्ज हैं एव उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश के अनुसार भूमि विधिवत रूप से अवाप्त नहीं हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के खातेदारी स्वत्व निहित हैं, विधिवत रूप से अवाप्त नहीं होने के बावजूद जलमग्न भूमि पर रेस्टोरेंट, मतस्य पालन एवं नोकायन जो अवैधानिक रूप से चलाए जाकर आम जनता से राशि वसूल की जा रही है, संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीगण/अपीलांटस के हक में स्थगन आदेश जारी फरमाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा आदेश 7 नियम 11 जा0दी के बाहर जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में ग्राम थोक तेलियान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1227 लगायत 1231 बाबत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन होकर स्थगन आदेश जारी फरमाने बाबत अंकन करते हुए वाद पत्र निरस्त करने का कथन किया गया है जबकि खसरा नम्बर 1228 लगायत 1231 वाद वर्णित आराजीयात नहीं है तथा खसरा नम्बर 1227 वाद पत्र में ही आबादी दर्ज है एवं उक्त खसरा नम्बरान बाबत वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का अंकन करते हुए आदेश अपील पारित किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार खसरा नम्बर 1224 मिन, 1225 मिन, 1227 तथा 501 के अतिरिक्त अन्य आराजीयात अवाप्त नहीं की गई है जवाब के पैरा संख्या 7 मे अंकन किया गया है एवं न ही रेस्टोरेंट, नोकायन तथा मछली पालन का ठेका प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है, फिर भी उक्त कार्य अवैधानिक रूप से किए जा रहे हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाब में प्रस्तुत अंकन के विपरीत जाकर खसरा नम्बर 1227 जो अवाप्त की जा चुकी है एवं आबादी भूमि है जिस बाबत कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर को वाद पत्र में ही आबादी अंकित किया गया है क्योंकि आबादी भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय में निहित नहीं है एवं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में अंकित शेष आराजीयात बाबत कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी के बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं ए.आई.आर. 2015 पेज संख्या 37, आर.बी.जे 1999 पेज संख्या 303, आर.आर.डी. 1993 पेज संख्या 592, आर. आर.डी 1986 पेज संख्या 676, आर.बी.जे 2019 पेज 339 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 15 ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी 15 थोक तेलियान भूमि खसरा नम्बर 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 का खातेदार एम मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 का आवासीय व्यवसायिक परिसर निर्मित है एवं जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी 15 द्वारा गृहकर आदि राशि नगर निगम अजमेर में विधिवत रूप से जमा करवा रहा है इस कारण से उक्त भूमि वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ आरक्षित न होकर व्यवसायिक एवं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आवासिय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है एवं भूमि खसरा संख्या 1227 जिसका वाद में उल्लेख किया गया है वह राजस्व रिकार्ड में बतौर आबादी दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 04 (1) के तहत अधिसूचना दिनांक 2.3.2010 को आनासागर झील के संरक्षक हेतु अवाप्ति हेतु अधिसूचना हुई थी जिसका प्रकाशन किया गया था एवं इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा जारी की गई थी जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 11.6.2012 को किया जाकर दैनिक अखबारों में भी प्रकाशन किया गया था एवं दिनांक 10.10.2014 को उक्त भूमि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 को उक्त भूमि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 11 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाकर उक्त भूमि को अवाप्त किया जा रहा है एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के विरुद्ध एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11904/2014 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तिजस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया था एवं यथा स्थिति कायम रखे जाने के निर्देश पक्षकरों को प्रदान किए गए थे। प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत लंवित है इस कारण से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है, एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 के अलावा भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230, 1231 के संवंध में किसी प्रकार की कोई याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में किसी प्रकार की याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवाप्ति को लेकर प्रस्तुत नहीं की गई है उक्त भूमि अवाप्तिधीन होने से न्यायालय को किसी प्रकार का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि खातेदारी को लेकर प्रतिवादी संख्या 15 का सरकार से कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी संख्या 15 से संवंधित खसरा नम्वर 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 न तो पूर्व में ना वर्तमान में जल मग्न हैं व राजस्थान काश्त0 अधि0 की धारा 16 के तहत किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं क्यो कि वादीगण स्वयं भूमि जलमग्न वता रहे हैं एवं भूमि खसरा नम्वर 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 अवाप्त की जा चुकी है व मुआवजा राशि घोषित कि जा चुकी है इस कारण से किसी प्रकार का वाद पोषणीय नहीं है। वादी द्वारा अधिकांश भूमि की किस्म आवी उल्लेखित की गई है जिससे स्पष्ट है कि वह जलस्त्रोत का हिस्सा है एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओ मोटो वनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के अनुसार उक्त भूमि पर अगर खातेदारी अधिकार दर्ज कर दिए गए हैं तो उन्हें रेफरेन्स करके निरस्त किए जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह भी माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी। प्रकरण भूमि अवाप्ति से संवंधित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है एवं उक्त वाद खारिज किए जाने योग्य हैं। वर्ष 2018 में Rajasthan lakes (protection and development authority) Act 2015 राजस्थान में लागु हो चुका है एवं उक्त अधिनियम के लागु होने से वादीगण के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं व आनासागर झील की सीमा तय की जा चुकी है जिसकी अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 को जारी की जा चुकी है जिसे वादीगण ने कहीं पर भी चुनौति नहीं दी गई है उक्त अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत सम्पूर्ण झील में आने वाली समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है यदि वादीगण कोई मुआवजा चाहता है तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही करने हेतु वाध्य होना पड़ेगा परंतु उक्त

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रकरण में वादीगण द्वारा मुआवजा राशि की मांग नहीं की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा खसरा नम्बर 1224 मिन, 1225 मिन, 1227 तथा 501 के अतिरिक्त अन्य आराजीयात अवाप्त नहीं की गई है एवं रेस्टोरेन्ट, नोकायत तथा मच्छली पालन का ठेका प्राधिकारण द्वारा प्रदान नहीं किया गया जिससे प्राधिकारण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होकर वाद निरस्त योग्य था अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 के अनुसार राज्य सरकार से अवार्ड की सम्पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने के कारण मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 15 व 03 के द्वारा जो जवाब बहस की गई है वह ही हमारी बहस मानी जावें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त राजस्व वाद वादग्रस्त आराजीयात जो कि आनासागर झील हेतु जलमग्न है बाबत मुआवजे के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आराजीयात भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त नहीं हो जाती तथा विवादित आराजीयात बाबत मुआवजे का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक राजस्व न्यायालय को ऐसे राजस्व वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा जलमग्न आराजीयात के मुआवजे का निर्धारण किसी प्रकार से करना है इस बात को भूमि आवप्ति/नियुक्त अधिकारी द्वारा ही किया जाना है तथा उक्त प्रकरण में जलमग्न आराजीयात बाबत भूमि एवं /नियुक्त अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद को दिनांक 11.12.2019 को विधि अनुसार निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया है जो कि विधि सम्मत प्रतीत होने से अपील अपीलांटस खारिज योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा वाद संख्या 19/2019(2019/00052) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2019 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर